भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400096.

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

परिपत्र संख्या 09 /2020

विषयः- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-21 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में ।

प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग किए जाने के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिनको प्राप्त करना इन कार्यालयों के लिए अपेक्षित होता है ।

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रयोग के लिए जारी वर्ष 2020-21 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	यह कार्यालय 'ख' क्षेत्र में स्थित है	लक्ष्य
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1.'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को	90%
		2. 'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को	90%
		3. 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को	55%
		4. 'ख' क्षेत्र से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति	90%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना		100%
3.	हिंदी में टिप्पण		50%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम		60%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती		70%
6.	हिंदी में डिक्टेशन / की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)		55%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)		100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना		100%
9.	जर्नल तथा मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई-पुस्तक, सीडी / डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय		50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद		100%
11.	वेबसाइट		100% (द्विभाषी)

12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)
13.	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)
	(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%

सभी शाखा अधिकारियों / अनुभाग प्रभारियों को इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्यों का प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(चन्द्रपाल सिंह चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

टिप्पणीः

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
'क'	बिहार, छतीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
'ग'	'क' तथा 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र

सं.सीप्ज़-सेज़/हिंदी-155/08/पार्ट फाइल IV/09047 **दिनांकः 17.8.2020**

प्रतिः

1. सभी शाखा अधिकारी - कृपया यह परिपत्र जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के बीच परिचालित करवाएं
2. सभी अनुभाग प्रभारी
3. विआका
4. संविआ
5. संबंधित फाइल
6. सभी सूचना - पट्ट
7. आइटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

प्रतिलिपिः- संयुक्त निदेशक (रा.भा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ ।